प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला दौसा, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2023 प्र0सू0रि0 सं. 21/2023 दिनांक 25/1/2023
2. (I) अधिनियम ... धारायें 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018
   (II) अधिनियम ..... धारायें .....
   (III) अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 492 समय 6:00 PM
   (ब) अपराध घटने का दिन व दिनांकः– मगंलवार, 24.01.2023 समय 1.40 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 20.01.2023 समय 3.30 पी0एम0
4. सूचना की किस्म :– लिखित
5. घटनास्थल :– आरोपी का किराये का कमरा भाण्डारेज, जिला दौसा
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– करीब 13 कि0मी0 लगभग, पूर्व दिशा में
   (ब)पता – आरोपी का किराये का कमरा भाण्डारेज, जिला दौसा
   बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री मुकेश कुमार बैरवा
   (ब) पिता / पति का नाम – श्री कल्याण सहाय बैरवा
   (स) जन्म तिथी / वर्ष .....करीब 31 वर्ष..
   (द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय– कृषि
   (ल) पता– निवासी ग्राम कालाखो तहसील व जिला दौसा
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –
   श्री रामभजन मीणा पुत्र श्री मौजीराम मीणा उम्र 28 साल जाति मीणा निवासी अट्टा मीणा की ढाणी भाण्डारेज जिला दौसा हाल पटवारी, पटवार हल्का कालाखोह तहसील व जिला दौसा
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ट्रेप रिश्वती राशि– रिश्वती राशि 4000 / –रूपये
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .....रिश्वती राशि 4000 / –रूपये
11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि परिवादी श्री मुकेश कुमार बैरवा पुत्र श्री कल्याण सहाय जाति बैरवा, उम्र 31 साल निवासी ग्राम कालाखोह तहसील व जिला दौसा ने दिनांक 20.01.2023 को समय 03.30 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित होकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि हमारी पैतृक खातेदारी भूमि पर पारिवारिक विवाद होने के कारण मेरे द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के कार्यालय से हमारे खसरा नम्बर 420 से 430 तक स्टे ऑर्डर लिया था जिसका नोट इन्द्राज करवाने के लिए मै दिनांक 18.01.2023 को ऑर्डर की कॉपी लेकर हमारे हल्का पटवारी श्री रामभजन मीणा कालाखो से मिला तो उन्होने मुझसे उक्त खसरा नम्बरो पर स्टे का नोट लगाने के लिए 5000 रूपये रिश्वत की मांग की मेरे द्वारा उनको मांग की गई रिश्वती की राशि नही देने पर पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 420,421,422,423,424,425,426,427,429 व 430 में स्टे का नोट इन्द्राज कर दिया लेकिन खसरा नम्बरा 428 जिसके नये खाता नम्बर 458 है उस पर रिश्वत नही देने के कारण नोट का इन्द्राज नही किया गया। इस पर मैने ऑनलाईन देखने पर दिनांक 19.01.2023 को पटवारी से मिला और उनको खसरा नम्बर 428 पर स्टे का नोट लगाने व नक्शा की नकल लेने के लिए कहा तो उन्होने मुझे कहा कि 5000 रूपये खर्चा

पानी के दोगे तभी नोट का इन्द्राज करूंगा। मै पटवारी को मेरे जायज काम के लिए रिश्वत नही देना चाहता हूँ और उसे रिश्वत लेते हुये रगें हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी पटवारी से कोई रंजिश, दुश्मनी व उधार का लेन–देन बाकि नही है आप मेरी कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। उक्त रिपोर्ट का श्रीमान द्वारा अवलोकन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की गई। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से मजीद दरियाफत की गई तो परिवादी द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट में अकिंत तथ्यो की ताईद करते हुये लिखित रिपोर्ट में अकिंत तथ्य सही होना एंव लिखित रिपोर्ट अपनी हस्त लिखित होना बताया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट के अवलोकन व मजीद दरियाफत से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाये जाने पर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल टेपरिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर डिजिटल टेपरिकॉर्डर श्री लोकेश कुमार कानि0 155 को जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी के साथ मांग सत्यापन हेतु तहसील कार्यालय, जिला कलक्टरी दौसा के लिए समय करीब 4.00 पीएम पर रवाना किया। तत्पश्चात् समय करीब 06.00 पीएम पर श्री लोकेश कुमार कानि0 155 मय परिवादी श्री मुकेश कुमार बैरवा के बाद गोपनीय मांग सत्यापन के संदिग्ध आरोपी श्री रामभजन मीणा पटवारी से वार्ता कर उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द शुद्वा विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर पेश कर बताया कि मै और आपका कानि0 श्री लोकेश कुमार यहा से रवाना होकर संदिग्ध आरोपी श्री रामभजन मीणा पटवारी के कहे अनुसार कार्यालय जिला कलेक्टर दौसा के नजदीक पहुँचकर मोटरसाईकिल को एक साईड में खडी की। जहॉ पर मेरा भाई श्री हरिकिशन बैरवा भी उपस्थित मिला। इसके बाद मैने पटवारी के मोबाईल नम्बर 9887667995 पर मेरे मोबाईल नम्बर 9694848540 से वार्ता की तो पटवारी जी ने मुझे तहसील कार्यालय में आने के लिए कहा। इस पर मै तो वाईस रिकॉर्डर चालूकर मेरे भाई हरिकिशन के साथ तहसील कार्यालय में श्री रामभजन मीणा पटवारी के पास चला गया और आपका कानि0 श्री लोकेश कुमार उस कार्यालय के बाहर ही खडा हो गया। मै और मेरा भाई कार्यालय के अन्दर गये तो पटवारी जी हमे एक कमरे में खडे मिले जिनको मैने नोट लगाने के बारे में पूछा तो उन्होने कहा कि रूकजा अभी। इसके बाद पटवारी जी कुछ काम करके हमारे पास आये तो मैने वापिस उनसे स्टे के नोट बाबत पूछा तो उन्होने मेरे को कहा कि लगा दिया है और फिर मेरे को बाकि पैसे कागज पर लिखकर देने के लिए कहकर कहा कि काम करवा लेते हो और पैसे नही देते हो। फिर उसने अपने तय शुदा 5,000 रूपये के लिए कहा तो मैने कहा कि कुछ कम करलो तो पटवारी जी ने मुझे कहा कि मैने तो आपको पहले व अन्दर ही बता दिया है। इस पर मैने उनको कहा कि मेरे पास तो 500 रूपये है तो उसने मुझे कहा कि 500 से पार नही पडेगे। इसके बाद उसने मेरे से 450 रूपये मौके पर ही प्राप्त कर शेष राशि सोमवार व मगंलवार को लेने के लिए कहा और साथ ही कहा कि नही दोगे तो आपका और काम नही करूगां। तत्पश्चात् मै और मेरा भाई तहसील कार्यालय से बाहर आये और फिर मै मेरे भाई को वही छोडकर श्री लोकेश कुमार कानि0 के पास आया और उनको ये सभी बाते बताई। इसके बाद हम दोनों वहा से रवाना होकर आपके कार्यालय में आ गये। परिवादी की बातों की ताईद श्री लोकेश कुमार कानि0 ने भी की। इसके बाद विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को चालू कर सूना तो उसमें आई वार्ता में संदिग्ध आरोपी द्वारा 5,000 रूपये रिश्वत की मांग कर मौके पर परिवादी से 450 रूपये प्राप्त कर शेष राशि सोमवार मगंलवार को लेने के लिए सहमत होकर नही देने पर आगे कोई काम नही करना कहना स्पष्ट रूप से पाया गया तथा परिवादी द्वारा बताई गई बातो की पुष्टि होना पाया गया। विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में लॉक कर सुरक्षित रखा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द वापसी विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4550 रूपये अपने साथ लेकर दिनांक 24.01.2023 को समय 10.00 एएम पर कार्यालय में आने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 24.01.2023 को समय करीब 09.30 एएम पर पूर्व के पाबन्दशुदा गवाह सर्व श्री सुरज्ञान सिंह गुर्जर कृषि अधिकारी (सामान्य) एंव श्री मानसिंह राजावत वरिष्ठ सहायक कार्यालय सयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद दौसा को जरिये दूरभाष समय 10.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। तत्पश्चात समय करीब 10.00 एएम पर पाबन्द शुदा परिवादी श्री मुकेश कुमार बैरवा कार्यालय में उपस्थित आया, जिसको संदिग्ध आरोपी श्री रामभजन मीणा पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि

बाबत पूछा गया तो परिवादी ने 4000/– रूपये की ही व्यवस्था होना एवं आरोपी द्वारा कुछ रूपये कम देने पर भी लेने बाबत् कहा तथा 4000/– रूपये अपने पास होना बताया। परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद समय करीब 10.05 एएम पर तलबीशुदा दोनों स्वतंत्र गवाह सर्व श्री सुरज्ञान सिंह गुर्जर कृषि अधिकारी (सामान्य) एंव श्री मानसिंह राजावत वरिष्ठ सहायक कार्यालय सयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद दौसा कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों गवाहान का परिवादी से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 20.01.2023 को पेश किया गया लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अकिंत तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने अपना हस्त लिखित होना तथा उसमें अकिंत सभी तथ्य सही होना ताईद किया। गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद परिवादी तथा संदिग्ध आरोपी श्री रामभजन मीणा पटवारी एवं परिवादी के भाई हरिकिशन बैरवा के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 20.01.2023 को टेप किया गया था एंव जिसको सुनकर सुरक्षा की दृष्टी से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुद्वा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सूना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुद्वा वार्ता में आरोपी श्री रामभजन मीणा पटवारी की आवाज एंव अपनी स्वंय व अपने भाई हरिकिशन बैरवा की आवाज की पहचान परिवादी श्री मुकेश कुमार बैरवा नें की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता की पैनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पैनड्राईव मगंवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्युटर की सहायता से बारी–बारी से तीन पैनड्राईव तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर तीनों पैनड्राईव पर मार्क– A-1, A-2, A-3 अकिंत कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री मुकेश कुमार बैरवा के हस्ताक्षर करवाकर पैनड्राईव मार्क A-1, A-2 को प्लास्टिक के कवर में अलग–अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित दोनों पैनड्राईव को अलग–अलग एक सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1, A-2 अकिंत कर, सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया जाकर एचएम मालखाना श्री बनवारीलाल हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया तथा तीसरे पैनड्राईव मार्क A-3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री सुरज्ञान सिंह गुर्जर कृषि अधिकारी (सामान्य) एंव श्री मानसिंह राजावत वरिष्ठ सहायक कार्यालय सयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद दौसा के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री मुकेश कुमार बैरवा को संदिग्ध आरोपी रामभजन मीणा पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 8 नोट कुल 4,000/–रू0 निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। जिनके नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुद्वर्गी नोट में अकिंत कर नोटो पर श्री रामखिलाडी कानि0 52 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 4,000 रूपये के नोटों को रखकर उन पर श्री रामखिलाडी कानि0 52 से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री मुकेश कुमार बैरवा की जामा तलाशी गवाह श्री सुरज्ञान सिंह गुर्जर से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 4,000/–रू. के नोट श्री रामखिलाडी कानि0 52 से परिवादी की पहनी हुई जिन्श की पेंट की पीछे की बाई जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उसे देवे, और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा

रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में रामखिलाडी कानि0 52 के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात पावडर लगाने वाले श्री रामखिलाडी कानि0 52 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। तत्पश्चात समय करीब 12.50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री मुकेश कुमार बैरवा व स्टाफ सदस्य सर्व श्री दौलतराम हैड कानि. नं. 101, श्री झाबर सिंह कानि0 83, श्री अशोक कुमार कानि0 505, श्री राकेश कानि0 70, श्री मुकेश कुमार कानि. 101, श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155 व श्री प्रेमप्रकाश कानि. नं. 382 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के एवं श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एएसपी साहब सुपरविजन हेतु जरिये सरकारी वाहन एवं एक प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही भाण्डारेज जिला दौसा के लिए रवाना होकर आरोपी के किराये का कमरा भाण्डारेज जहॉ पर बैठकर राजकार्य करता है के नजदीक पहुँचे जहां पर वाहनों को रोड के एक साईड में भीड भाड वाली जगह पर खडा करवाकर कानि0 श्री लोकेश कुमार व परिवादी को वॉईस रिकॉर्डर को चालू करने की मुनासिब हिदायत कर संदिग्ध आरोपी के पास उसके किराये के कमरे भाण्डारेज के लिए रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचे उतरकर परिवादी के पीछे–2 रवाना होकर अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये उसके किराये के कमरे के आस पास खडे होकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। समय करीब 1.40 पीएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के सामने परिवादी श्री मुकेश कुमार बैरवा ने आरोपी के किराये के कमरे जहॉ पर वह बैठकर राजकार्य करता है उसके बाहर रोड पर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर मन् पुलिस निरीक्षक को निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि साहब मैं अभी–अभी आपके निर्देशानुसार श्री रामभजन मीणा पटवारी के पास उनके किराये के कमरे भाण्डारेज जहॉ पर वह बैठकर कार्य करते है पर गया, तो वह मुझे अपने किराये के कमरे में कुर्सी पर बैठे हुए कार्य करते हुये मिले। मैंनें उनको नमस्कार किया तथा फिर कहा कि मेरे को नक्शा आदि और लेना है अतः आपकी पूर्व की फीस व नक्शों आदि की फीस बताओ तो उन्होने मुझे एक कागज पर 5000 रूपये लिखकर देने के लिए ईशारा किया तो मैंने 4000/– पाउडरयुक्त रिश्वती राशि अपनी जेब से निकालकर उन्हें दिये तो उन्होने अपने बांये हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की बांई जेब में रख लिये। जो अभी–भी उनकी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की जेब में ही रखे हुए है। इसके बाद मै वहॉ से बाहर आकर आपको निर्धारित ईशारा किया। पटवारी जी अभी–भी अपने कमरे पर ही बैठे हुए है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक

परिवादी श्री मुकेश कुमार बैरवा, दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाब्ता को साथ लेकर तुरन्त ही आरोपी रामभजन पटवारी हल्का कालाखों के कमरे पर गये तो कमरे में एक व्यक्ति सामने कुर्सी पर बैठा हुआ एवं एक व्यक्ति दाहिने तरफ कुर्सी पर बैठा हुआ कार्य करते हुये मिले। दाहिने तरफ कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि साहब यही श्री रामभजन मीणा पटवारी जी है जिन्होनें अभी–अभी मेरे से हमारी जमीन के खसरा नम्बर 420 से 430 पर न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा द्वारा दी गई स्टे का नोट लगवाने की ऐवज में अपनी मांग अनुसार 4000/–रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की बांई जेब में रखे है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना, गवाहान व ब्यूरो दल का परिचय दिया जाकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामभजन मीणा पुत्र श्री मौजीराम मीणा उम्र 28 साल जाति मीणा निवासी अट्टा मीणा की ढाणी भाण्डारेज जिला दौसा हाल पटवारी, पटवार हल्का कालाखों तहसील व जिला दौसा होना बताया। तत्पश्चात् श्री रामभजन मीणा पटवारी को परिवादी श्री मुकेश कुमार बैरवा से मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 20.01.2023 को 5000/–रूपये रिश्वत की मांग कर 450/–रूपये मौके पर ही प्राप्त करने एवं अपनी उक्त मांग की अनुशरण में परिवादी की पैतृक जमीन के खसरा नम्बर 420 से 430 पर स्टे का नोट लगवाने की ऐवज में आज दिनांक 24.01.2023 को 4000/–रूपये प्राप्त की गई रिश्वत राशि बाबत पूछा तो आरोपी श्री रामभजन मीणा, पटवारी ने बताया कि साहब श्री मुकेश कुमार बैरवा दिनांक 20.01.2023 समय करीब 4:20 पीएम के आस–पास तहसील कार्यालय कलक्टर दौसा में मेरे पास आया और मुझे अपने खसरा नम्बर 420 से 430 तक न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के आदेश अनुसार स्टे का नोट लगवाने के लिए कहा तो मैने मुकेश को कहा कि आपके खसरा नम्बर 420 से 430 पर मैनें नोट का इन्द्राज एलआरसी से दिनांक 18.01.2023 को करवा दिया तब मुकेश ने मुझे कहा कि खसरा नम्बरा 428 पर नोट नही लगा है। इस पर मैनें मुकेश को साथ में ले जाकर एलआरसी में उसके सामने नोट लगवा दिया गया और नकल के लिए बोल दिया लेकिन उस समय मैनें मुकेश कुमार से न तो 5000 रूपये रिश्वत की मांग की और न ही 450 रूपये प्राप्त किये। इसके बाद आज दिनांक 24.01.2023 को समय करीब 1:30 पीएम पर यह मेरे पास मेरे किराये के कमरे भाण्डारेज पर आया और मुझे अपने खसरा नम्बर 420 से 430 के नक्शों की नकल लेने के लिए कहा तो मैने मुकेश को नकल पी–35 क्रमांक 104 पर दर्ज करके नकल दी और फीस 40 रूपये के लिए कहा तब मुकेश ने मुझे स्वंय ने ही 4000/– रूपये दिये जो मैने अपने बॉये हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जींस की पीछे की बाई जेब में रख लिये जो अभी भी मेरी जेब में रखे हुये है। इस पर आरोपी से पूछा गया कि जब नकल की फीस 40/–रूपये थी और परिवादी मुकेश ने आपको 4000/– रूपये दिये तो आपने परिवादी मुकेश से 4000/– रूपये लेकर अपनी जेब में क्यो रखे ? इस पर आरोपी श्री रामभजन मीणा पटवारी कुछ नही बोला और चुपचाप रहा। इस पर पास ही खडे परिवादी श्री मुकेश कुमार बैरवा से पूछा तो परिवादी ने बताया कि साहब पटवारी जी झूठ बोल रहे है मै दिनांक 18.01.2023 को हमारे खसरा नम्बर 420 से 430 पर स्टे का नोट लगवाने के लिए पटवारी जी से मिला तो इन्होने मेरे से नोट लगवाने की एवज में 5000/– रूपये रिश्वत की मांग की और मैनें इनको रिश्वत नही दी तो इन्होने हमारे खसरा नम्बरा 428 को छोडते हुये बाकि के खसरा नम्बरों पर स्टे का नोट लगा दिया इस पर मैं ऑनलाईन देखकर दिनांक 19.01.2023 को इनसे वापिस मिला तो इन्होने मेरे से अपनी मांग की गई रिश्वत राशि देने के लिए कहा। इसके बाद मै दिनांक 20.01.2023 को आपके कार्यालय में आकर पटवारी द्वारा रिश्वत की मांग करने की लिखित रिपोर्ट दी तो आपने मेरे को आपके कानि0 लोकेश के साथ रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के लिए भेजा तो पटवारी ने मेरे से खसरा नम्बर 428 पर स्टे का नोट लगाने की एवज में मांग सत्यापन के दौरान 5000/– रूपये रिश्वत की एक कागज पर लिखकर मांगकर 450/– रूपये मौके पर प्राप्त कर लिये एवं शेष राशि सोमवार मंगलवार को देने के लिये कहा जिस पर आज मै आपके निर्देशानुसार पटवारी जी के पास इनके किराये के कमरे पर आया तो ये मुझे कार्य करते हुये मिले जिसको मैने नमस्कार कर अपने स्टे एवं नक्शों की नकल लेने के लिये कहकर फीस के लिए कहा तो इन्होने मुझे नक्शों की नकल देते हुये एक कागज पर पुनः 5000/– रूपये लिखकर देने के लिए कहा जिस पर मैने अपनी जेब से पाउडर युक्त 4000/– रूपये निकालकर पटवारी जी को दिये तो इन्होने अपने बॉऐ हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जींस की पेंट की पीछे की बाई जेब में रख लिये। तत्पश्चात मौके

पर आरोपी पटवारी का निवास स्थान नजदीक होने पर काफी भीड जमा होने के कारण कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने को मध्यनजर रखते हुये आरोपी का दाहिना हाथ श्री लोकेश कुमार कानि0 155 से एवं बायॉ हाथ श्री राकेश कुमार कानि0 70 से कलाई के उपर से अलग–अलग पकडवाया जाकर हाथ पकडे–पकडे ही सरकारी वाहन में बैठाकर कमरे पर लटके ताले को कमरे के लगाकर मय परिवादी स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रैप पार्टी सदस्यों एंव साजो सामान को साथ लेकर मय वाहनों के अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीबी कार्यालय दौसा के लिए रवाना होकर समय करीब 2.40 पीएम पर एसीबी कार्यालय दौसा पर उपस्थित आया आरोपी को कार्यालय में स्टॉफ की निगरानी में बैठाया जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर से दो साफ कांच के गिलासों में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री रामभजन मीणा पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियों/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग गदमैला तथा बायें हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर दोनों गिलासों के धोवन का रंग गदमैला व गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो–दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके पश्चात् श्री रामभजन मीणा पटवारी की पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की बांई जेब की जामा तलाशी गवाह श्री सुरज्ञान सिंह गुर्जर से लिवाई गई तो श्री रामभजन मीणा पटवारी की पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की बांई जेब में कुछ रूपये होना बताया जिनको गवाह से बाहर निकलवाकर दोनों गवाहान से गिनने व कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट के नंबरों से मिलान करने बाबत कहा, तो गवाह श्री सुरज्ञान सिंह गुर्जर ने आरोपी की पहनी हुई जीन्स की पीछे की बाई जेब से कुछ रूपये निकालकर 500–500 रूपये के 8 नोट कुल 4,000/–रूपये होना व दोनों गवाहानं ने नोटों के नंबरों का मिलान कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से कर दोनों के नम्बर एक समान होना बताया। बरामदशुदा नोटो के नम्बरो का फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि में अंकन कर नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थीकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके पश्चात् बाजार से एक नया लोवर मंगवाकर आरोपी श्री रामभजन मीणा पटवारी की उक्त जीन्स की पेन्ट बैरंग नीला, जिसकी पीछे की बांई जेब में रिश्वत राशि 4000/–रूपये प्राप्त कर रखी गई थी एवं जो उक्त जेब से बरामद हुई है। उक्त पेन्ट को शालीनता पूर्वक श्री रामभजन मीणा पटवारी के बदन से उतरवाया जाकर मंगवाया गया लोवर पहनाया गया। तत्पश्चात् एक अन्य साफ कांच के गिलास में पूर्व की भॉति सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाकर उक्त पेन्ट की पीछे की बांई जेब, जिससे रिश्वती राशि बरामद की गई है, उक्त जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोया जाकर धोवन लिया गया तो, धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी मौजूदगान ने देखकर धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त कांच के गिलास के धोवन को दो अन्य साफ कांच की शीशीयों में आधा–2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई तथा उक्त पेन्ट बैरंग नीला की पीछे की बांई जेब जिससे रिश्वती राशि बरामद की गई थी, को सुखाकर उसकी जेब पर लाल पैन का गोला कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "P" अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी से प्राप्त वॉइस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी श्री रामभजन मीणा पटवारी के मध्य रिश्वत लेन–देन की वार्ता टेप होना पाई गई। आरोपी से परिवादी के खसरा नम्बर 420 से 430 तक स्टे का नोट लगाने से संबंधित दस्तावेज बाबत पूछा गया तो अपने कमरे पर होना बताया, परिवादी व आरोपी से आपसी रंजिश, दुश्मनी व उधार के लेन–देन बाबत पूछा तो दोनों ने ही इंकार किया। तत्पश्चात एसीबी कार्यालय दौसा से मय परिवादी, दोनों स्वतन्त्र गवाहान, स्टाफ सदस्य व आरोपी के गाडी सरकारी ड्रा0 के रवाना होकर घटनास्थल भाण्डारेज पहुँच कर घटना स्थल का नक्शा मौका कसीद कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी

के किराये का कमरा भाण्डारेज जहां बैठकर राजकार्य करता है उक्त कमरे की जरिये फर्द खाना तलाशी ली गई। जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी को एक कागज पर रिश्वती राशि 5,000 रूपये लिखकर देने के लिए बताया गया था वह परिवादी के कहे अनुसार मूल तथा स्टे से सम्बन्धित पत्रावली प्रमाणित प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी के पैण्डिंग कार्य से संबंधित रिकॉर्ड को जरिये फर्द जब्त किया गया तत्पश्चात घटना स्थल भाण्डारेज से मय हमराहीयान के रवाना होकर एसीबी कार्यालय दौसा आया। इसके बाद समय करीब 08.05 पीएम पर आरोपी श्री रामभजन मीणा को जरिये फर्द अपनी नमूना आवाज देने बाबत् कहा गया तो आरोपी ने अपनी स्वेच्छा से अपनी नमूना आवाज नही देने बाबत फर्द पर लिखकर दिया गया। तत्पश्चात दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी श्री मुकेश कुमार बैरवा व आरोपी श्री रामभजन मीणा पटवारी के मध्य दिनांक 24.01.2023 को रिश्वत राशि लेन–देन के समय हुई वार्ताओं के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को जो ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी से प्राप्त कर चालूकर सुना जाकर वापिस बन्द कर अपने कब्जे में रखा गया था, को अपने पास से निकालकर वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया तथा उक्त में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द समझ आई वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपी श्री रामभजन मीणा पटवारी की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री मुकेश कुमार बैरवा द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् वार्ता के पैन ड्राइव बनाने हेतु तीन खाली पैन ड्राइव ट्रेप बाक्स से ली जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से बारी–बारी से तीन पैन ड्राइव तैयार किये जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर तीनों पैन ड्राइव पर मार्क– B–1, B–2 व B –3 अकिंत कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री मुकेश कुमार बैरवा के हस्ताक्षर करवाकर पैन ड्राइव मार्क B–1 व B–2 को अलग–अलग प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर कवर सहित पैन ड्राइव मार्क B–1 व B–2 को अलग–अलग एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली पर भी मार्क B–1 व B–2 अकिंत कर, सील मौहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राइव मार्क B–3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद आरोपी श्री रामभजन मीणा पटवारी को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में जरिये फर्द गिरफतार किया गया। ट्रेप कार्यवाही के उपयोग में ली गई नमूना ब्राशसील नम्बर–36 को जरिये फर्द तुडवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त शुद्वा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुद्वा शीशीयॉ व ज़ब्त शुद्वा रिश्वती राशि नम्बरी 4000 रूपये को जमा मालखाना करवाया जाकर बाद सम्पन्न कार्यवाही दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री मुकेश कुमार बैरवा को रवाना किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी रामभजन मीणा पुत्र श्री मौजीराम मीणा उम्र 28 साल जाति मीणा निवासी अट्टा मीणा की ढाणी भाण्डारेज जिला दौसा हाल पटवारी, पटवार हल्का कालाखोह तहसील व जिला दौसा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री मुकेश कुमार बैरवा पुत्र श्री कल्याण सहाय जाति बैरवा, उम्र 31 साल निवासी ग्राम कालाखोह तहसील व जिला दौसा से उसकी पैतृक जमीन खसरा नम्बर 420 से 430 पर पारिवारिक झगडा होने के कारण परिवादी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा से लिये गये स्टे का नोट लगाने के लिए रिश्वत की मांग कर परिवादी द्वारा रिश्वत नही देने पर खसरा नम्बर 428 को छोडकर शेष खसरा नम्बरों पर दिनांक 18.01.2023 को स्टे का नोट लगाकर दिनांक 20.01.2023 को गोपनीय मांग सत्यापन के दौरान पूर्व में खसरा नम्बरो पर लगाये गये स्टे नोट एवं शेष खसरा नम्बर 428 पर स्टे नोट लगाने की एवज में 5000/–रूपये रिश्वती राशि की मांग कर 450/–रूपये मौके पर ही प्राप्त कर शेष राशि में से 4000/–रूपये अपनी मांग की अनुशरण में दिनांक 24.01.2023 को परिवादी से एक कागज पर लिखकर मांगकर अपने बॉऐ हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की बांई जेब में रखना तथा उक्त राशि आरोपी के बदन पर पहनी हुई जीन्स की

पेन्ट की पीछे की बांई जेब से बरामद होने पर आरोपी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री रामभजन मीणा पुत्र श्री मौजीराम मीणा उम्र 28 साल जाति मीणा निवासी अट्टा मीणा की ढाणी भाण्डारेज जिला दौसा हाल पटवारी, पटवार हल्का कालाखोह तहसील व जिला दौसा के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

(नवल किशोर)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
दौसा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नवल किशोर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामभजन मीणा पुत्र श्री मौजीराम मीणा, पटवारी, पटवार हल्का कालाखोह, तहसील व जिला दौसा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 21/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

25.1.23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक- 159-62 दिनांक 25.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2,जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, दौसा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा।

25.1.23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।